2. **एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ का स्थान**

पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन के लिए स्थान का चुनाव करते समय, एस॰एस॰ए॰ प्रमुख पी॰सी॰ओ॰ बूथों के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करने हेतु, स्थानीय निकायों, यथा नगरपालिका, सार्वजनिक संस्थानों से परामर्श करेंगे। पी॰सी॰ओ॰ बूथों का चयन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थान निश्चित रूप से चुने जाने चाहिएं:

— वाणिज्यिक आवास समितियां

— पुनर्वास कालोनी

— सरकारी कालोनी

— रक्षा कार्मिकों के फैमिली क्वार्टर

— छात्रावास

— बस स्टैंड

— पर्यटक केन्द्र

— हवाई अड्डे

— तीर्थयात्री केन्द्र

— रेलवे स्टेशन

— धार्मिक संस्थाएं

— अस्पताल

— शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि

4. गैर-ग्रामीण (शहरी) एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के मामले में, विभाग को प्राप्य प्रति माह प्रति पी॰सी॰ओ॰ न्यूनतम गारंटी शुदा राजस्व 1600/- रु॰ निश्चित किया गया है।

5. प्रतिभूमि निक्षेप के रूप में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 5000/- रु॰ या औसत मासिक राजस्व, इनमें जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। औसत मासिक राजस्व का आकलन पिछले 6 महीनों के राजस्व के आधार पर किया जाएगा।

6. एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ प्रभारों की वसूली के लिए पाक्षिक बिलिंग चक्र का अनुपालन किया जाएगा। यदि प्रभार बहुत ज्यादा है, तो स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा साप्ताहिक बिलिंग का आश्रय लिया जा सकता है।

सांसदों के कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोनों का लगाया जाना

6388. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या संचार मंत्री 15 मार्च, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं॰ 228 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के बारे में और साथ जहां टेलीफोन कनेक्शन आवेदकों के स्थानों पर लगाने में तकनीकी कठिनाईयां है, के संबंध में कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कोई समय सीमा निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं। देश में सभी स्थानों के लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, जो सभी स्थानों के लिए लागू हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसके कारण निम्नलिखित हैं:—

— कनेक्शन की व्यवहार्यता में होने वाली कठिनाइयों की गंभीरता प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती हैं।

— बहुधा बिना बारी के अनेक टेलीफोन कनेक्शन ऐसे क्षेत्रों के लिए मंजूर किए जाते हैं जिनमें व्यवहार्यता की दृष्टि से किसी भी तरह टेलीफोन प्रदान करना बहुत कठिन होता है। ऐसे दुसाध्य क्षेत्र स्थान विशेष में नेटवर्क के विस्तार के दौरान ही व्यवहार्य हो सकते हैं।

— प्रायः ऐसे कनेक्शनों को व्यवहार्य बनाने में भूमिगत के बिलों, ओवर हैड एलाइनमेंट आदि जैसे संसाधनों का अधिक मात्रा में व्यर्थ उपयोग होगा। व्यवहार्यता बनाने संबंधी ऐसे कार्यों के नेटवर्क की समग्र विस्तार योजना के साथ एकीकृत किया जाना होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना होता है।